

न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या
11/165/2019

प्रवेश तिथि
15-10-2019

निर्णय दिनांक
02-03-2020

01-सतीश कुमार सेनी पुत्र स्व० भगवान सहाय सेनी निवासी धोबीगट्टा दाई की गुमटी नई बस्ती अलवर जिला अलवर।

अपीलान्ट

बनाम

- 1-राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अलवर, जिला अलवर राज० रेस्पोंडेन्ट
2-किशन लाल पुत्र भैरू उर्फ सुगडाराम सेनी जाति सेनी।
3-छोटू पुत्र भैरू उर्फ सुगडाराम सेनी।
4-पप्पू पुत्र भैरू उर्फ सुगडाराम सेनी।
5-प्रताप पुत्र भैरू उर्फ सुगडाराम सेनी, निवासीयान धोबी गट्टा दाई की गुमटी अलवर।
6-राजोदेवी पुत्री भैरू उर्फ सुगडाराम सेनी निवासी पटायरी की डूंगरी राजगढ।

अपील विरुद्ध आज्ञा दिनांक 20-05-1998 जिसके द्वारा इन्तकाल संख्या 88 ग्राम दिवाकरी तहसील अलवर में अपीलान्ट का नाम गलत रूप से इन्द्राज किया गया है।

उपस्थित :-

01. श्री आशीष खण्डेलवाल

—वकील अपीलान्ट

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार अलवर के आदेश दिनांक 20-05-1998 जिसके द्वारा इन्तकाल संख्या 88 वाके ग्राम दिवाकरी तहसील अलवर में अपीलान्ट का नाम गलत रूप से इन्द्राज किया है, से व्यथित होकर पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंड को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहरते हुए निवेदन किया कि अपीलीय इन्तकाल में वर्णित आराजी अपीलान्ट के दादा भैरू उर्फ सुगडाराम काबिज काश्तकार था, भैरू की धर्मपत्नि पारो देवी का भी देहान्त हो चुका है। अपीलान्ट के दादा का विरासत का विवादित इन्तकाल संख्या 88 दिनांक 20.05.1998 को पटवारी हल्का ने जांच करते हुए तहसीलदार अलवर यहां पेश किया जिसमें काश्तकार के नाम की जगह सतीश पुत्र भैरू उर्फ सुगडाराम 1/2 दर्ज कर दिया जबकि सतीश पुत्र भगवान सहाय दर्ज होना चाहिये था क्योंकि भैरू उर्फ सुगडाराम अपीलान्ट सतीश का दादा लगता था। अपीलान्ट के पिता भगवान सहाय सेनी का देहान्त हो जाने के कारण उनकी पत्नि लाली देवी जो मेरी माता थी उन्होंने अपीलान्ट के चाचा पप्पूराम सेनी के साथ पुर्नविवाह कर लिया है। इसलिए मेरी माता के सीन पर मेरे नाम इन्तकाल दर्ज व स्वीकार किया जावे। तहत न्यायालय ने अपीलीय इन्तकाल बिना जांच बिना मौका देखें ही व वारिसान की जानकारी किये बिना ही बाला-बाला दर्ज व स्वीकार किया है। जिससे अपीलान्ट के अधिकारों पर विपरीत असर पडता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा के संबंध में दर्ज करते समय किसी प्रकार के रिकार्ड व मौका की जांच नहीं की गई जिससे अपीलान्ट की वल्दीयत गलत रूप से दर्ज हुआ है। इसलिये विवादित आज्ञा को अपीलान्ट के नाम सही करने की हद तक निरस्त किया जाना आवश्यक है। अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 16-01-2019 को हुई जिस पर आवश्यक दस्तावेजात की नकल दिनांक 19.1.19 को प्राप्त हुई। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावे।


जिला कलक्टर, अलवर

रैस्पा0 संख्या 2 लगायत 6 की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अपीलान्ट के पिता का नाम गलती से भगवान सहाय सैनी के सीन पर भेरू उर्फ सुगडाराम जो अपीलान्ट का दादा लगता है दर्ज कर दिया गया जबकि अपीलान्ट के पिता का वास्तविक नाम भगवान सहाय है। यदि अपीलान्ट के पिता का नाम दर्ज किये जाने में हमको एतराज नहीं है तथा भविष्य में भी किसी प्रकार का एतराज नहीं करेंगे। अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने में हमें कोई आपत्ति नहीं है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है अपीलान्ट ने अपील पेश कर मुख्य तर्क उठाया कि इंतकाल संख्या 88 में काश्तकार के स्थान पर सतीश पुत्र भेरू उर्फ सुगडाराम का नाम निरस्त किया जाकर उसके साथ पर अपीलान्ट सतीश पुत्र भगवानसहाय का नाम इंतकाल दर्ज किया जावे। सर्वप्रथम दफा-5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर विचार किया गया। अपीलान्ट वकील द्वारा अपील मियाद बहार पेश की गई है अपीलान्ट ने अपील जानबूझकर विलम्ब से पेश की है तथा विलम्ब का कोई युक्तियुक्त कारण भी पेश नहीं किया जबकि विलम्ब को कण्डोन कराने हेतु दिन-प्रतिदिन का कारण स्पष्ट करना होता है। अपीलान्ट द्वारा वल्दीयत के संबंध में भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किये गये है, और ना ही अपीलान्ट द्वारा अपील में यह कहीं यह अंकित किया है कि अपीलान्ट के पिता का कब देहान्त हुआ। अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 16-01-2019 को होना अपनी अपील में दर्शाया है, दिनांक 16.1.19 से पूर्व जानकारी के बारे में भी दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः अपील अपीलान्ट मियाद बहार व सारहीन होने के कारण खारिज फरमाई जावे।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। तहसीलदार अलवर का आदेश दिनांक 20.05.1998 यथावत रखा जाता है। निर्णय प्रति तहसीलदार अलवर को तहत रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 02-03-2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(नन्नू मल पहाडिया)
जिला कलेक्टर, अलवर